



**KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR**

**( PERMIT FORM )**

**PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR**  
**UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973**

ID No. :-	<b>25042017002</b>	Block/Sector	<b>-----/N/A</b>
Plot/House	<b>A.NO-658/-----</b>	Scheme	<b>-----</b>
Permit Date	<b>30-12-2017</b>	Application Date	<b>25-04-2017</b>
Permit No.	<b>68/Bhaw/Com./17-18</b>		
Area(Place)	<b>SINGHPUR KACHHAR</b>		
Land Usage	<b>Group Housing</b>		
Applicant's Name	<b>SRI ATUL KUMAR MITTAL</b>		
Present Address	<b>7/81 CHAK NO-7 TILAK NAGAR KANPUR</b>		

Sanctioned vide order dated : **22-12-2017 V.C** by authorized officer. Building permission granted as per sanctioned building plan enclosed. Subject to The Conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

**Validity Period:-** Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.

**Authorised Signatory**  
**एस० के० नगर**  
**अधि० अधि० जोन-**  
**कां वि० प्रा०**

## अनुज्ञा की भांति:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरोयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी। ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
6. वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण हार्वेस्टिंग, सोलर संयन्त्र की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
8. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
9. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार वृक्ष लगाने होंगे एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
10. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन प्रस्तुत करनी होगी। स्थल पर निर्माण कार्य दक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख रेख में पूर्ण किया जायेगा।
12. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा जारी गाईड लाईन-2010 की शर्त के अनुसार विकासकर्ता द्वारा स्थल पर निर्माण सामग्री को पूर्ण रूप से ढक कर व टको व अन्य वाहनों को भी ढक कर रखना होगा। निर्माणी सामग्री सडक पर ढक कर रखनी होगी। कार्य करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहन का कार्य करना होगा।
13. ग्राइन्डिंग कार्य करते समय डस्ट पार्टिकल उड कर हवा में न जाये उसकी उचित व्यवस्था एवं वेटजेट का प्रयोग करना होगा तथा निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण स्थल के चारों ओर स्थापित स्केफोल्डिंग को तारपोलीन से ढका जायेगा।
14. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिबुनल द्वारा समय-समय पर पर्यावरण सम्बन्धी सभी निर्देशों तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाइड लाइन 2010 का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
15. भवन निर्माण में लेवर एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
16. भविष्य में शुल्को के सम्बन्ध में कोई यदि वित्तीय देयता होती है तो आवेदक को देय होगी।
17. भू-स्वामित्व का वाद विवाद होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
18. संशोधित मानचित्र के अनुसार FIRE DEPART की NOC पुनः एक माह के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी।
19. किसी भी भांति का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

  
Authorised Signatory  
अनुज्ञा जारी करने वाला  
अधिकारी  
प्रा. 10 प्रा. 10